

01/04/2014/A.R.D
01/04/2014
01.52 P.M
01/04/2014

1[प्ररूप 2क]

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन—पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें
भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति

का नाम उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय

निर्वाचन—क्षेत्र [मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 में क्रम
सं0 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो

संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र [मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग
सं0 में क्रम सं0 पर प्रविष्ट है।

तारीख (प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

27 बौका

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम उमाकान्त यादव

पिता/माता/पति का नाम बौबरी यादव

उसका डाक पता याम-टुपाडीहौ, पोन्याना-बौसी, रेज-बौका (बिहार)
दिनांक ४/३/२०१४

उसका नाम 162 करोड़प्रा विधान सभा संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र

*(मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 111 में क्रम संख्यांक 184

पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	162 कटोरिया	III - 197	- महेन्द्र यादव -	महेन्द्र यादव	१-४-२०१४	
2.	162 कटोरिया	III - 216	- सुदीन यादव -	सुदीन यादव	१-५-२०१४	
3.	162 कटोरिया	III - 185	- प्रेमलता यादव -	प्रेमलता यादव	५-५-१४	
4.	162 कटोरिया	III - 197	- अनुराधा यादव अनुराधा यादव	अनुराधा यादव	१-५-१४	
5.	162 कटोरिया	III - 188	- समला यादव -	समला यादव	१-५-२०१४	
6.	162 कटोरिया	III - 199	- दिनेश यादव -	दिनेश यादव	१-५-२०१४	
7.	162 कटोरिया	III - 200	- कलपना देवी कलपना देवी	कलपना देवी	१-५-१४	
8.	162 कटोरिया	III - 218	- महेश कुमार यादव -	महेश कुमार यादव	१-५-१४	
9.	162 कटोरिया	III - 217	- रेखा देवी -	रेखा देवी	१-५-१४	
10.	162 कटोरिया	III - 219	- वीला देवी -	वीला देवी	१-५-१४	

कृपया ध्यान दें - प्रस्थापक के लिये में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक स्त्रों से चाहिए।

¹ अधिसूचना सं० का० आ० ५५०(अ), तारीख ९ अगस्त, १९९६ द्वारा प्रलिप २क से २ग के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग 3

मैं, भाग ~~2~~ भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने 63 वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में X दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में बहुजन सुकृति पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो राजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वेच्छा अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) पारपाइ (ii) X (iii) X है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दू (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अहिंत हूँ और निरहिंत भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो X राज्य के उस राज्य में के X (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उच्च-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में **** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

उमाकान्त टाटा

तारीख 01-04-2014

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* जन्म-क्रमीर, अदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लकड़ीप की दशा में “मेरे समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र” शब्द का उपयोग कीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** लागू न होने काले शब्द काट दीजिए।

****जन्म-क्रमीर, अदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लकड़ीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दे – “मान्यताप्राप्त राजनीतिक” दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आक्षण और आवटन) आदेश, 1968 के अधीन गवर्णित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनीतिक दल अनिवार्य है।

[भाग 3क]

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को—

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—
 (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या
 (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
 सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

हैं / नहीं ✓

¹ अधिसूचना सं0 का0आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंत स्थापित।

- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है नहीं

यदि उत्तर 'हाँ' में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) नामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट X

संख्यांक X

- (ii) पुलिस थाना X

(थाने) X जिला (जिले) X राज्य ✓

- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

X

- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें)

X

- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

X

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

X

- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)

X

- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील(अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं

- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ

X

- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे

X

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लंबित हैं

X

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो—

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) X

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) X

उमाकान्त यादव

स्थान : कोका

(अध्यर्थी के हस्ताक्षर)

तारीख : 01-04-2014

भाग 4


(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन—पत्र की क्रम सं^o ०।

यह नामनिर्देशन मुझे / मेरे कार्यालय में 01 - 04 - 2014 (तारीख) को 01.52 PM (बजे)

*अध्यर्थी / प्रस्थार्पक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 01-04-2014


01/04/2014
सहायक निवाची पदाधिकारी
27-बोका संसदीय निर्धारण केंद्र
रिटर्निंग आफिसर,

भाग 5

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय
मैंने इस नाम निर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर
लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :—

तारीख

रिटर्निंग आफिसर,

(छिद्रण)

*लागू न होने वाले शब्द दीजिए।

भाग 6

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन—पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन—पत्र की क्रम सं ०। का, जो २७ - लोक्य संसदीय


निर्वाचन—क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अन्धर्थी हैं, नामनिर्देशन—पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में १५.२०१५ (तारीख)

को १.५२ Pm (बजे) * अन्धर्थी/प्रस्थानपक्क द्वारा परिदत्त किया गया। सब नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा

२५.५.२०१५ (तारीख) को ११.३० Am (बजे) निर्वाचनी पदाधिकारी (स्थान) में की जाएगी।

निर्वाचनी पदाधिकारी ने निर्वाचनी पदाधिकारी को बताया है कि वे अपने

तारीख १५.५.


सहायक निर्वाचनी पदाधिकारी
सहायक निर्वाचनी पदाधिकारी
२०१५ रिटनिंग आफिसर

शब्द लागू न हो वसे काट दीजिए।

एक प्राति पाया)
(उमाकान्त व्याद्व

१-५-१६



प्ररूप 26"

27 लोक सभा

निर्वाचन क्षेत्र

से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं उमा कान्त भाद्र ** पुत्र/पुत्री/पत्नी लौलरी यादव आयु 63 वर्ष
 वर्ष, जो राम-द्वारा दी हुई पोन्धाना-बौसी, फिर-लोका (जिल्हा)
पिन कोड 813104 (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं :-

(1) मैं बहजन मुक्ति पार्टी (** राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / **एक स्पैशियल अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 162 कटोरिया (विहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 111 के क्रम सं134 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं9931302150 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) X है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्तिः :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	स्वयं	X	८	X
2	पति या पत्नी	X	X	८
3	आधिकारी	X	X	X
4	आधिकारी	X	X	X
5	आधिकारी	X	X	X

NOTA
 * Ajoy Kumar Pandey
 Area - B-13 K.A. आधिकारी
 RN - 32201/103

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

*5/64
21/53/15*
यदि अभियाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	X
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	X
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	X
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	X
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	X
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	✓

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त}

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न} :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	X
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय में संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	X
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि काई हो) के ब्यौरे	X

* *Ajoy Kumar Patnaik* किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) मा उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभियाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संकेत विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	X
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	X
(ग)	अधिरोपित दंड	X
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि है, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	X

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और रथावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम अस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरणी दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में रकम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रितों का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नगदी	5000/- ₹	X	X	X	X
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	10000/- ₹	X	X	X	
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचरों/शेयरों तथा घूमनी में विनिधान के ब्यौरे और रकम	10000/- ₹	X	X	X	X
(iv)	संप्राय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे	X	X	X	X	X

Ajoy Kumar
Area - 34
RN - 3220

NOTA

*Shri
31/07/2014*

	और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	X	X	X	X	X
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें कर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गये वैयक्तिक ऋण/अधिग्रहण और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	X	X	X	X	X
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	X	X	X	X	X
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	X	X	X	X	X
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	X	X	X	X	X
(ix)	समग्र कुल मूल्य	15000/-	X	X	X	X

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

*NOTA H
Ajay Kumar Pandit
Area - B INR
R.V.-322011/01*

क्रम.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	X	X	X	X	X
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	दो एकड़	X	X	X	X
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	X	X	X	X
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X	X	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	X	X	X	X
	विकास, संनिवारण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	X	X	X	X	X
	अनुमानित घालू बाजार मूल्य	1000000/-	X	X	X	X
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	X	X	X	X	X
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	X	Y	Y	X	Y
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	X	Y	X	X	Y
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X	X	X	X	X

	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	✓	✗	X	✗
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	✗	✗	✗	✗	✗
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	✗	✗	✗	✗	✗
(iii)	वाणिज्य भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	X	✗	✗	✗	✗
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	✗	✗	✗	✗	✗
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	✗	✗	✗	✗	✗
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	✗	✗	✗	✗	✗
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	✗	✗	✗	✗	✓
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	✗	✗	✗	✗	✗
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	✗	✗	✗	✗	✗
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	✗	✗	✗	✗	✗
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	कौजाहल आवासीय भवान संख्याएँ	✗	✗	✗	✗
(iv)	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	गोडियाल वर्ग फुट में कुल माप	✗	✗	✗	✗
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	द्वितीय वर्ग फुट में कुल माप	✗	✗	✗	✗
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	✗	✗	✗	✗
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	✗	✗	✗	✗	✗
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	✗	✗	✗	✗	✓
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	✗	✗	✗	✗	✗
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	20000000/₹ ²¹⁰	✗	✗	✗	✗
	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)		✗	✗	✗	✗
	पूर्वांतर (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	30000000/₹ ²¹⁰	✗	✗	✗	✓

Ajoy Kalyan Pandit
Area: BANK
RN: 1010101010 कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	X	X	X	X	V
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व	X	X	X	X	X
	दायित्वों का कुल योग	X	X	X	X	X
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	X	X	X	X	V
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	X	X	X	X	X
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	X	X	X	X	X
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	X	X	X	X	X
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	X	X	X	X	X
	आय-कर शोध्य	X	X	X	X	V
	धनकर शोध्य	X	X	X	X	X
	सेवाकर शोध्य	X	X	X	X	X
	नगरपालिका/संपर्चि कर शोध्य	X	X	X	X	X
	विक्रयकर शोध्य	X	X	X	X	X
(iii)	कोई अन्य शोध्य	X	X	X	X	X
	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	X	X	X	X	X
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्विलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह विवाद है का वर्णन करें।	X	X	X	X	X

(9) वृत्ति या उपजीविका के बौरे : **अधिवक्ता**

(क) स्वयं

(ख) पति या पत्नी X

(10) मेरी शैक्षिक अहता नीचे दिये अनुसार है :-

विद्यालय सुल्तान अंव लागलपुर से, एल-एल-जी. ई. एन. जी. पाठ्य महाविद्यालय लागलपुर 1985 में अलगपुरी कल्पविद्यालय लागलपुर से

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे)

भाग-ख

~~5814914~~
~~5814914~~
(11) भाग क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्रीमती/कुमारी/कुमार/बैठकाना-बौद्धीजिन-जानकी		
2	डाक का पता	उमा कान्त यादव-पट्टनामा-बौद्धीजिन-जानकी		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	27 बौद्धीक सभा राज्य		
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा रखतें लिखें)	बहुजन मुक्ति पार्टी		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	X		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	X		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएं)	X		
7	NOTARY  (क) अभ्यर्थी/andii (ख) पति/या पत्नी (ग) आक्षित	का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी काइल की गई है	कुल दर्शित आय
		X	X	X
		X	X	X
		X	X	X

~~संक्षिप्त अधिकारी~~

8	आस्तिया और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आक्रित-1	आक्रित-2	आक्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	X	X	X	X	X
ख	स्थावर आस्तियां	X	X	X	X	X
I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	X	X	X	X	X
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ सन्निर्माण (यदि लागू हो)	X	X	X	X	X
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	X	X	X	X	X
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासत आस्तियां (कुल मूल्य)	X	X	X	X	X
<i>Ajod Kumar Pandit</i> Area - I (KA) RN - 320001 J 193		X	X	X	X	X
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	X	X	X	X	X
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	X	X	X	X	X
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	X	X	X	X	X
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	X	X	X	X	X
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	X	X	X	X	X

11

| | उच्चतम शैक्षिक अर्हता : बी-एस-सी। 1985 में मुरारका महाविद्यालय द्वारा नवजागरण प्रागलप्ति से, एवं एल-बी। 1985 ही. एल-बी। विधिविद्यालय प्रागलप्ति द्वारा नवजागरण प्रागलप्ति से) (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यौरे दें।) |

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं, यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 9, 10 और 11 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 31-03-2014 को सत्यापित किया गया। *Identified डमाकान वादव*
Hd. Asstt. Prof. H. C. Ahluwalia
31/3/14 अभिसाक्षी

Notary Public, Pandit Agarwal, Chahal & Sons, 31-03-2014
 नोटरी पब्लिक, पांडिट अगरवाल, चाहल & सॉन्स, 31-03-2014

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य या लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(c) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिये गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य या लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी—६ शपथ पत्र के पारा ३ में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

‘मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/ हैं...मोबाइल नं. 9931302150

मेरा ई—मेल आईडी० (अगर कोई हो) है.....X

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....X

Shri
Ajoy Kumar Pandit

(उमाकान्त यादव)
I declare my
Hd. Ajoy Kumar Pandit
31/3/14
E/N 1219/69



मेरा दूरभाष संख्या
The above is true identified
Shri/Smt. _____
Advocate Banks Solemn
Name and signature before me
Ajoy Kumar Pandit
Ajoy Kumar Pandit
Notary Public
Banks, Bihar (India)